उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-1

संख्या-280/2015/डब्लू-85/38-1-2015-39डब्लू0पी0/2015

लखनऊ: दिनांक: 20 जुलाई, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

आयुक्त, ग्राम्य विकास के कार्यालय- आदेश संख्या-476-बी/स्था0प्र0/2015, दिनांक 02.06.2015 द्वारा श्री अजय प्रताप सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, बहराइच को स्थानान्तरित करते हुए जनपद झाँसी में तैनात किया गया । श्री अजय प्रताप सिंह द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास के उक्त आदेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में रिट याचिका सं0-872/2015 योजित की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 09.07.2015 के अनुपालन में श्री सिंह ने पत्र दिनांक 10.07.2015 द्वारा जनपद-बलरामपुर, बाराबंकी व सीतापुर मे से किसी एक जनपद में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर तैनाती किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में श्री सिंह द्वारा किये गये उपरोक्त अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास के उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.06.2015 को निरस्त करते हुए श्री अजय प्रताप सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, बहराइच को स्थानान्तरित करते हुए जनपद सीतापुर में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

3- स्थानान्तरित अधिकारी अपने नवीन पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर तत्संबंधी कार्यभार- प्रमाणक शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा दें। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

उमा कान्त मिश्र

उप सचिव

<u>संख्या-280/2015/ डब्लू-85 (1)/38-1-2015 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, झांसी/देवीपाटन/लखनऊ ।
(4) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, बहराइच/झांसी/सीतापुर।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराइच/झांसी/सीतापुर ।
(6) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(उमा कान्त मिश्र)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in